

फर्द अहकाम  
( नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

रतनी

बनाम

देवी लाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 287/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/6/2022	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रतनी</u></p> <p>पत्नी श्री <u>गोवर्धन लाल जी गुर्जर</u></p> <p>निवासी <u>गुर्जर मोहल्ला सेती चित्तौड़गढ़</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सहनवा</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1025, 2002/1024</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> कुल रकबा <u>0.5800</u> है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सहनवा</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1025, 2002/1024</u></p> <p>कुल कीता <u>2</u> रकबा <u>0.5800</u> है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500=00</u> रूपये अक्षरे <u>पांच सौ रुपय मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>

(सय्याम सुन्दर बिस्नोई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



जिला चित्तौड़गढ़  
वि.अ.अ. 1129  
13.07.22  
के पालना प्राप्ति  
पत्रावली निर्णित  
गाम